जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति, बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम), औरंगाबाद (बिहार)।

नियमित जमानत आवेदन संख्या–326/2026

अम्बा थाना काण्ड संख्या–110/2016

19.03.2026 प्रस्तुत जमानत आवेदन काराधीन अभियुक्त सुनील सिंह की ओर से दिनांक–11.03.2026 को दाखिल किया गया है, जो दिनांक–09.03.2026 से कारा में निरोधित है। जमानत आवेदन की प्रतिलिपि विद्वान विशेष लोक अभियोजक को दी गई है। पुकार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक न्यायालय में उपस्थित हुए।

पुकार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक निर्दोष है। आवेदक की ओर से दाखिल क्रि0अ0नं0–1294/2017 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा डिस्पॉज्ड ऑफ किया गया है तथा आवेदक की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावा श्रीमान् के न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन लंबित नहीं है। आवेदक का अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक–09.03.2026 से कारा में निरोधित है। अतः आवेदक को किसी भी राशि के बंधपत्र पर जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और कहा गया कि अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति का है।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख पर संधारित मूल अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त जमानत आवेदन, अम्बा थाना कांड संख्या–110/2016 में इस न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 341, 323, 353, 504, 506/34 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)(r)(s),3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है, से संबंधित है। अंचल अधिकारी कुटम्बा के नेतृत्व में जमीन नापी के कार्यवाही के अंतर्गत हल्का कर्मचारी, अंचल अमीन एवं अनुसेवक, मंगल विगहा स्थित गाँव में उपस्थित थे और जमनी नापी कर रहे थे तो उपरोक्त अभियुक्त सहित इस वाद के अन्य अभियुक्त के विरूद्ध इस वाद के सूचक को जाति सूचक गाली देते हुए, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। कांड दैनिकी से यह परिलक्षित होता है कि अभियुक्त अनुसंधान के क्रम में पुलिस के समक्ष उपस्थित हुए है लेकिन पुलिस के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि उसे पुलिस बंध पत्र पर छोड़ा गया है, जिसका उल्लेख कांड दैनिकी के कंडिका–56 से 59 में उल्लेखित है। इससे यह परिलक्षित होता है कि अभियुक्त के द्वारा अनुसंधान में सहयोग किया गया है। अभियुक्त दिनांक–09.03.2026 से कारा में निरोधित है तथा संज्ञान के उपरांत प्रथम उपस्थिति है। सूचक को विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है, परन्तु वह जमानत आवेदन के सुनवाई के दौरान न तो वह स्वयं तथा न ही उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभियुक्त का कारा में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए, आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अतएव उपरोक्त अभियुक्त सुनील सिंह को मो0–10000X1 (दस हजार) रूपये का बंधपत्र व इतनी ही राशि के एक प्रतिभू द्वारा बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त साक्ष्य व साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा, वाद के विचारण एवं निष्पादन में पूर्णतः सहयोग करेगा एवं प्राप्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा।

आदेश की तिथि	19.03.2026
आदेश सुरक्षित रखने की तिथि	नही
अपलोड करने की तिथि	23.03.2026
द्वारा अपलोड किया गया	स्टेनोग्राफर

लेखापित

(विश्व विभूति गुप्ता),
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति,बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम),औरंगाबाद।
19.03.2026